

1300 Job No-630000/- H. Lakshadaga

1767

पचास

FIFTY
RUPEES

Rs. 50

LOW VALUE

INDIA

50/-

भारतखण्ड JHARKHAND

C 730890

16/11/11
15

11/11/11
15

[Handwritten signature]
22-10-11



नाम लेख्यकारी (VENDOR):

श्री सचिन्द्र नन्द लाल (HUF) पिता स्व० मधुसूदन लाल अग्रवाल, जाति अग्रवाल, पेशा वकालत, निवास स्थान अपर बाजार लोहरदगा, थाना लोहरदगा, जिला लोहरदगा। वर्तमान पता कृष्णा नगर कॉलोनी, रातु रोड रांची, थाना सुखदेव नगर जिला रांची, झारखण्ड, राष्ट्रीयता भारतीय।

PAN-AACHS4263H UID-6422-3919-4131 Ph-9334089777

[Handwritten signature]
24/10/11

[Vertical handwritten text]
11/11/11
15

नाम लेख्यधारी (VENDEE) :-
श्रीमती सुनैना देवी पति श्री मनोज कुमार गुप्ता, जाति
रीनियार, पेशा गृहणी, निवास स्थान लोहरदगा अशोक नगर,
वार्ड न० 15, थाना लोहरदगा, जिला लोहरदगा, झारखण्ड,
राष्ट्रीयता भारतीय।
PAN-DYKPD4872G UID-2130-8710-5469 Ph-9631520889

लेख्य प्रकार: - विक्रय पत्र।

(Absolute Sale Deed)

सम्पत्ति का मूल्य: - मो० 6,80,000/ छः लाख अस्सी हजार
रुपया।

सम्पत्ति का विवरण: - मवाजी तखमीनन 05 डि० पांच डिसमिल
जमीन दोन हकियत रैयती कायमी आर० एस० खाता न० 81,
आर० एस० प्लॉट न० 1604 में से विक्री का रकबा 05 डि०, वाके
मौजे लोहरदगा, थाना न० 194, थाना लोहरदगा जिला
लोहरदगा। मुतल्के कलक्टरी डि० रजिस्ट्रार वो डि० सब रजिस्ट्रार
मो० लोहरदगा। जो दखल में लेख्यकारी के चला आ रहा है वो
विक्रय सम्पत्ति सभी प्रकार के ऋण-भार से मुक्त है वो हर प्रकार
से पाक वो साफ है। अन्दर जमीन्दारी झारखण्ड राज्य द्वारा
अंचलाधिकारी लोहरदगा माल सालाने मो० 5/ रु०। अन्दर
नगरपालिका लोहरदगा वार्ड न० 21 के होल्डिंग न०
0210000319000M0 अन्तर्गत।

विक्रय सम्पत्ति का विवरण

खाता न०	प्लॉट न०	रकबा	दर्जा
81	1604 में से	05 डि०	आवासीय

जिस पर मकान बना हुआ नहीं है। मैप के अनुरूप जो साथ
पट्टा के संलग्न है वो रंग लाल से दिखलाया गया है। जिसका

नाप: -

उत्तर जानिब पू० से ५० 38 फीट

दक्षिण जानिब पू० से ५० 38 फीट

पूरब जानिब 30 से ६० 57 फीट 6 इंच

पश्चिम जानिब 30 से ६० 57 फीट

(Signature)

24/10/18

सीहदी:

उत्तर: प्लॉट नं० 1600

दक्षिण: - 14 फीट चौड़ा परस्तावित सरसों

पूरुब: - पार्ट प्लॉट नं० 1604

पश्चिम: - पार्ट प्लॉट नं० 1604

यह घोषित किया जाता है कि उपरोक्त सम्पत्ति सरकारी नहीं है जो कि सरकार द्वारा अधिग्रहण की गई है जो यह भी घोषित किया जाता है कि खजाना, वन सीमा या भू एवं वही के अधीन नहीं आती है जो मन्दिर, मठ, मरिजाद, गिरजा, गुरुद्वारा या सरना आदि की नहीं है जो पूर्व में विक्री नहीं की गई जो न आदिवासी जाते की है। जो भी घोषित किया जाता है कि यह जमीन छोटा नागपुर अधिनियम अधिनियम की धारा 46(1)(b) के दायरे में आने वाली अधिग्रहित नहीं एवं अन्य पिछड़े वर्ग की नहीं है।

यह कि उपरोक्त प्लॉट लेख्यकारी की (ANCESTRAL) कृषि भूमि है जो बटवारा का स्मृति पत्र रजिस्ट्री ता० 04.06.1983 ई०, बुक नं० 1, पिन संख्या 3, पेज 2 से 20 तक निर्बंधित निर्बंधन संख्या 1203 एवं 1983 के हिस्सा में लेख्यकारी को मिला जो दफ्तर में चला आ रहा है जिसका दारिजल स्मारेज के पश्चात लेख्यकारी के नाम रजिस्ट्रार चला आ रहा है जो लेख्यकारी का नाम अंचल के पृथी II, Volume-14 Page-141 में अंकित है।

यह के लेख्यकारी, लेख्यधारी से निम्नलिखित सिद्धांत के अनुसार जो 6,80,000/ रुपये भुगतान पाकर विक्रय पत्र लिया जो उपर वर्णित सम्पत्ति को पूर्ण अधिकार के साथ लेख्यधारी के स्थान विक्री किया, जो लेख्यकारी के स्थान पर लेख्यधारी को उपरोक्त विक्रय सम्पत्ति पर दफ्तर चला किया। यह के लेख्यधारी तथा उनके उत्तराधिकारी उपरोक्त विक्रय सम्पत्ति पर काबिज दखल कार हो कर जो रह कर उपरोक्त प्लॉट पर मकान बनावे, कुओं खोदावे, या जैसी इच्छा हो करे। अब आज के तारीख से किसी प्रकार का अधिकार या स्वामित्व उपरोक्त विक्रय सम्पत्ति पर लेख्यकारी अथवा उनके उत्तराधिकारी का नहीं माना जायेगा जो न भविष्य में होगा। जो जिस प्रकार का स्वामित्व, अधिग्रहण का प्रभुत्व विक्रेता जो उनके उत्तराधिकारी का उपरोक्त विक्रय सम्पत्ति पर था या भविष्य में होता वह सब ज्यों का त्यों आज के तारीख से समाप्त तथा उनके उत्तराधिकारी का हुआ जो होगा।

सिद्धांत 51 कम्प्यूट
रजिस्ट्रार

